दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

सुरक्षित : 27 जुलाई, 2023
उद्घोषित : 18 अगस्त, 2023

रिट याचिका (सि.) 5077/2023 और 19793/2023, सि.वि. आवेदन 30180/2023

बत्रा मेडिकोस और अन्य ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री वृंदा कपूर देव, डॉ. एस. रितम खरे, श्री आदित्य गोयल और सुश्री सौम्या सोनी, सुश्री दीपिका कालिया, सुश्री वैष्णवी, श्री केशव खंडेलवाल, अधिवक्तागण

बनाम

भारत संघ और अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री चेतन शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ श्री मुकुल सिंह, भारत सरकार के स्थायी अधिवक्ता, श्री कीर्तिमान सिंह, केन्द्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता, श्री अभिज्ञान सिद्धांत, सरकारी अभिवक्ता, सुश्री इरा सिंह, श्री वरुण प्रताप सिंह और सुश्री श्रेया मेहरा, प्रत्यर्थीगण सं. 1 और 2 के अधिवक्तागण,

श्री सौरभ कृपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय कुमार दुबे के साथ श्री अभिनव अग्निहोत्री, श्री प्रतीक तिवारी, सुश्री प्रिया दुबे और श्री निखिल अरोड़ा, प्रकाश मेडिकोस के अधिवक्तागण।

श्री पराग पी. त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुणाल मित्तल के साथ सुश्री वसुंधरा बाखरू, मेसर्स ग्रोनबरी फार्मा के अधिवक्तागण।

श्री मोहित गुप्ता, श्री अंकित जैन, श्री.विशाल सक्सेना, श्री ध्रुव मेहता,कैलाश मेडिकोस के अधिवक्तागण

श्री सुमंत डे, श्री रोहित के साथ खुराना, गाँधी मेडिकोस के अधिवकतागण।

श्री सम्राट निगम, श्री शिव दत्त कौशिक, कौशिक मेडिकल स्टोर के अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. संजीव नरूला,</u>

<u>सि.वि.आवेदन 37363/2023, 37364/2023, 37365/2023</u> और **<u>37366/2023</u>**

<u>(सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश I नियम 10 सह पठित धारा 151 के तहत दोषारोपण)</u>

1. वर्तमान आवेदन उनमें बताए गए आधारों और कारणों के आधार पर स्वीकार किये जाते हैं और आवेदकों/हस्तक्षेपकर्ताओं को वर्तमान याचिका में पक्षकारों के रूप में रखा गया है। त्वरित निपटान के लिए, हमने हस्तक्षेपकर्ताओं को प्रति-शपथपत्र की जगह लिखित निवेदन दायर करने की अनुमति दी, और उनको अच्छे से सुना गया है।

2. आवेदन का निपटान कर दिया गया है। पक्षों के संशोधित ज्ञापन आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर दाखिल किये जाए।

<u>रि.या. (सि.) 5077/2023</u>

3. याचिकाकर्तागण, जो कि फार्मासिस्ट हैं, ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना ["सीजीएचएस"] के तहत दिल्ली के भीतर संचालित आरोग्य केंद्र को दवाओं की आपूर्ति के लिए अधिकृत स्थानीय दवा विक्रेता ["एएलसी"] के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए बोलियां प्रस्तुत की। हालांकि, उनकी बोलियां सफल नहीं हुई। याचिकाकर्ताओं ने निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता के बारे में विभिन्न मुद्दों को उठाया है और आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने उन बोली लगानेवालों को, जो उच्चतम बोली लगाने वालों (एच1 के रूप में संदर्भित) से स्थान में नीचे थे, यानी जिन्होंने उच्चतम प्रस्तावित छूट दरों से

कम छूट दर का प्रस्ताव रखा था, को अनुबंध प्रदान करके निर्धारित निविदा शर्तों की अवमानना की है। समान प्रतिस्पर्धा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने एच 1 की प्रस्तावित बोली के समान बोली रखने की अपनी तत्परता व्यक्त की। वे इस बात पर जोर देते हैं कि यदि निविदा दस्तावेजों में निर्धारित दिशा-निर्देशों और विनिर्देशों का कड़ा अनुपालन किया जाता है तो उनके सहित सभी बोली लगाने वाले व्यवस्थित तरीके से एच 1 के समान छूट का प्रस्ताव रख सकते हैं। इस आधार पर, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि निविदा के तहत अनुबंध उन्हें मिलने की काफ़ी संभावना है।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

4. 4 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने, सरकारी ई-बाजार स्थान (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना) पोर्टल पर ई-निविदा जारी की। इस निविदा द्वारा 3 वर्ष के लिए एलोपैथिक दवाइयों की आपूर्ति के लिए ए.एल.सी. को आमंत्रित किया गया है, इसमें 102 आरोग्य केंद्र, अस्पताल, प्राथमिक उपचार तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र [*सामूहिक रूप से "आरोग्य केंद्र"*] के छह क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की अन्य इकाइयाँ शामिल हैं । कार्य क्षेत्र और अनुबंध पैनल के अतिरिक्त नियम और शर्तें [*एतद पश्चात, "कार्य सीमा"*] बोली लगानेवालों से अपेक्षा रखती हैं कि वह एकरूप छूट दर, जिस पर वे विभिन्न क्षेत्रों में स्थित सभी संबंधित आरोग्य केंद्र को दवाओं की आपूर्ति करने

की इच्छा रखते हैं, प्रस्तावित करें। अनुबंध को उच्चतम छूट दर (यानी, एच1) का प्रस्ताव रखने वाले बोली लगानेवाले को देने के लिए तैयार किया गया था। कार्य प्रयोजन के खंड 72 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि एच 1 बोली लगानेवाले किसी विशिष्ट आरोग्य केन्द्र की आपूर्ति के सन्दर्भ में प्रस्ताव स्वीकार करने से मना करता है तो उन्हें निलंबन का सामना करना पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप अगली उच्चतम छूट (एच2) की बोली लगानेवाले को एच1 बोली लगानेवाले के द्वारा दी गई छूट की बराबरी करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

5. कार्य प्रयोजन की धारा 4.2 (क) में निर्दिष्ट सूक्ष्म और लघु उद्योग ["एम.एस.ई."] के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के सबंध में भाग लेने वाली संस्थाएं, जो एमएसई के रूप में पंजीकृत थीं, खरीद वरीयता प्राप्त करने की हकदार थीं। यह वरीयता तब लागू होगी यदि उनकी प्रस्तावित छूट दर एच1-15% की सीमा के भीतर आती है और वे एच1, एक गैर-एमएसई इकाई द्वारा प्रस्तावित छूट के समान छूट देने का प्रस्ताव रखते हैं। उल्लेखित धारा की सटीक भाषा नीचे दी गई है:

> *"4.2 एम.एस.ई. के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुपालन में:*
> *क) ऐसी परिस्थिति में जहाँ उपकरण के लिए एल1 एक गैर-एम.एस.ई. है, प्रतिभागी बोली लगानेवाले जो एक पंजीकृत एम.एस.ई. है और जो एल1 +15 प्रतिशत की मूल्य सीमा के भीतर मूल्य प्रस्तावित कर रहा है, की मूल्य को एल1 तक कम करके उसे ए.एल.सी. के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। ए.एल.सी. छूट के मामले में, वह बोली लगानेवाले चयनित होगा*

जो सबसे कम मूल्य (एल1) के स्थान पर उच्चतम छूट (एच1) दे। इसलिए खरीद वरीयता उस एम.एस.ई बोली लगानेवाले को दी जाएगी जो एच1-15% सीमा के भीतर छूट का प्रस्ताव दे रहा हो और जो छूट को बढ़ा कर एच1 के बराबार लाने के लिए तैयार है, जहां एच1 एक गैर-एमएसई इकाई है।

4.2 (क) का स्पष्टीकरण: यदि कोई गैर एम.एस.ई. एच1 बोली लगानेवाले आरोग्य केंद्र के लिए 25 प्रतिशत की बोली लगाता है, तो उन सभी एम.एस.ई. बोली लगानेवालों को क्रय में वरीयता दी जाएगी जिन्होंने 25-(25 का 15 प्रतिशत)= 25-3.75 = 21.25 की छूट दी है। सभी एम.एस.ई. बोली लगानेवाले जिन्होंने 21.25 और 24.9 के बीच बोली लगाई है, उन्हें एच1 द्वारा प्रस्तावित 25 प्रतिशत छूट की बराबरी करने के लिए कहा जाएगा।"

6. खंड 7.2 सहित कार्य प्रयोजन में निहित कुछ खण्डों में संशोधन प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा दो शुद्धिपत्र जारी करके किए गए। नतीजतन, प्रत्यर्थियों की बोलियां जमा करने की समय सीमा शाम को 05:00 बजे 08 फरवरी, 2023 तक बढ़ा दी गई। संशोधित प्रस्तुतीकरण की अवधि के समापन के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 [सी.जी.एच.एस. के अतिरिक्त निदेशक] के नेतृत्व में तकनीकी मूल्यांकन समिति ने भाग लेने वाले 58 बोली लगानेवालों द्वारा प्रस्तुत नीलामी दस्तावेजों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की। इस निकाय के अंतर्गत कुल 48 बोली लगानेवाले शामिल हैं जिनमें याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी संख्या 4 [मेसर्स प्रकाश मेडिकोस] और हस्तक्षेपकर्ता, अर्थात् मेसर्स ग्रोनबरी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी मेडिकोस, कैलाश केमिस्ट और कौशिक

मेडिकल स्टोर [सामूहिक रूप से *"हस्तक्षेपकर्ता"* के रूप में संदर्भित]], शामिल हैं, तकनीकी रूप से योग्य घोषित किए गए थे।

7. वित्तीय बोलियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी, 2023 को शुरू हुए, जिसमें मेसर्स क्योर फार्मा केमिस्ट विभिन्न क्षेत्रों में स्थित विभिन्न आरोग्य केंद्र के लिए एच1 बोली लगानेवाले के रूप में सामने आया। प्रत्यर्थी संख्या 3, रमेश केमिस्ट को एच2 बोली लगानेवाला घोषित किया गया था। बोली लगानेवालों का स्थान उनके द्वारा प्रस्तावित छूट के आधार पर इस निर्णय के परिशिष्ट के रूप में दी गई सारणी में दिया गया है ।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने सरकारी ई मार्केटप्लेस पोर्टल पर 'मूल्य स्पष्टीकरण प्रश्न' उठाया जिसके अंतर्गत उन्होंने मेसर्स क्योर फार्मा केमिस्ट (एच1) से आरोग्य केंद्र को इंडेंटेड दवाओं की आपूर्ति करने की अपनी वित्तीय क्षमता के प्रमाण के रूप में कुल निष्पादन प्रतिभूति का 20 प्रतिशत जमा करने का अनुरोध किया। हालांकि, मेसर्स क्योर फार्मा केमिस्ट जवाब देने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने तब एच2 बोली लगानेवाले रमेश केमिस्ट को इसी अपेक्षा के बारे में सूचित किया।

9. याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका ऊपर उल्लिखित घटनाओं के आलोक में दायर की, जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने खंड 7.2 का उल्लंघन करते हुए एच2 बोली लगानेवाले को एच1 बोली लगानेवाले

द्वारा दी गई छूट के समान छूट देने के लिए प्रेरित करने के बजाए पैनल का अनुबंध एच2 को उसी के द्वारा निर्धारित छूट के आधार पर दिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, एच1 (मेसर्स क्योर फार्मा केमिस्ट) का प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के प्रश्न का उत्तर न देने का निर्णय प्रभावी रूप से प्रस्ताव को अस्वीकार करने के समान है। नतीजतन, एच2 को एच1 द्वारा दी गई छूट की बराबरी करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। चूंकि यह महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निविदा प्रक्रिया से समझौता किया गया है। नतीजतन, वे निम्नलिखित प्रार्थनाएँ करते हैं:

> *"1. परमादेश या किसी अन्य रिट, आदेश या उपयुक्त निर्देश की रिट जारी करें, जिससे प्रत्यर्थियों को प्रत्यर्थी संख्या 3 को दिए गए आक्षेपित प्रस्ताव जिसके अधीन प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा लगाई गई बोली पर काम करना था, को वापस लेने और उस पर आगे न बढ़ने का निर्देश दिया जा सके।*
> *2. परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों को 04.01.2023 के "अधिकृत स्थानीय केमिस्टों के अनुबंध पैनल में शामिल होने के लिए कार्य का दायरा और अतिरिक्त नियम और शर्तें" ई-निविदा अनुबंध के खंड संख्या 7 के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया जाए और सभी पात्र बोली लगानेवालेओं को क्रमानुसार एच-1 की छूट से मेल करने का मौका दिया जाए।"*

10. कहा गया है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी सं. 3 [रमेश केमिस्ट] ने भी मूल्य स्पष्टीकरण प्रश्न का उत्तर देने से परहेज किया। नतीजतन, मेसर्स प्रकाश मेडिकोस, एच 3 बोली लगानेवाला सबसे ऊँची बोली

लगानेवाला घोषित किया गया। इससे कुल 37 केंद्रों के लिए समझौता उनके पक्ष में किया गया। इसी तरह, एच3 और अन्य विभिन्न आरोग्य केंद्र के लिए अन्य उच्चतम बोली लगानेवाले, जिनमें मध्यस्थ भी शामिल हैं, द्वारा प्रस्तुत बोलियां स्वीकार की गई। इस निविदा के अधीन अनुबंध उन्हें सौंपे गये हैं ।

11. उपरोक्त घटनाक्रम के मद्देनजर, दिनांक 11 जुलाई, 2023 के आदेश के अनुसार, मेसर्स प्रकाश मेडिकोज को वर्तमान कार्यवाही के लिए एक पक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद, जब दलीलें पेश की जा रही थीं, तब हस्तक्षेपकर्ताओं ने मामले में पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। वर्तमान याचिका के परिणाम के उन पर संभावित महत्व को समझते हुए, उनके अधिवक्ता को भी अपने तर्क प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।

<u>पक्षकारों के दलील</u>

<u>याचिकाकर्ताओं की ओर से</u>

12. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने जिस तरह से प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने निविदा सौंपी है, उस आचरण की कड़ी आलोचना निम्नलिखित तर्कों द्वारा की है:

12.1. कार्यप्रयोजन का खंड 4.2, जो खरीद में गैर-एमएसई बोली लगानेवालों के मुकाबले पंजीकृत एमएसई बोली लगानेवाले को वरीयता प्रदान करता है, अधारणीय है। यह स्थिति गैर-एमएसई बोली लगानेवालों की सफलता की

संभावनाओं को काफी कम कर देती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा जिस सार्वजनिक खरीद नीति को आधार बनाया गया है, वह अप्रयोज्य है, क्योंकि यह नीति एमएसई निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए है, न कि व्यापारियों को। 11 जनवरी, 2023 को आयोजित नीलामी पूर्व बैठक के कार्यवृत्त, जो स्पष्ट करते हैं कि 'मध्यम उद्यम' खरीद वरीयता के लिए पात्र नहीं हैं, का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया था कि 'मध्यम उद्यमों' को खंड 4.2 के दायरे से बाहर करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

12.2. उपरोक्त वरीयता को प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा निविदा प्रक्रिया के बीच में, 19 अप्रैल, 2023 को रद्द कर दिया गया था। इस संचार के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने केवल यह कहा कि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी 02 जुलाई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन ["ओएम"] के अनुसार, खरीद वरीयता नहीं दी जाएगी। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने अनुबंध की शर्तों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया और एमएसई की वरीयता को वापस ले लिया, जिसके लिए याचिकाकर्ता भी पात्र थे। यह परिवर्तन बोलियाँ शुरु होने के बाद मनमाने ढंग से किया गया था, जिसमें निविदा दस्तावेजों के खंड 4.2 और अन्य मूल नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया था।

12.3. कार्य प्रयोजन खंड 7.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि एच1 बोली लगानेवाला प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तो क्रमानुसार बाद के बोली

लगानेवाले को एच1 द्वारा प्रस्तावित छूट के मिलान का अवसर दिया जाता है। यदि प्रतिभागी में से कोई भी एच1 मूल्य पर काम करने को तैयार नहीं है, तो एक नई निविदा जारी करके यह प्रक्रिया फिर से चलाई जाएगी। हालांकि, वर्तमान मामले में एच1, एच2 बोली लगानेवालों के निरर्हित होने के पश्चात, एच3 अपने द्वारा प्रस्तावित छूट के आधार पर निविदा प्राप्त करने में सफल रहा है, न कि एच1 द्वारा, जो खंड 7.2 के अधिदेश का खंडन करता है।

12.4. कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्याप्त समुचित तत्परता के बिना मैसर्स प्रकाश मेडिकोज (एच3) को सौंपा गया है। प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने चयनित बोली लगानेवाले को दूसरों के मुकाबले प्राथमिकता दी है।

12.5. प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने प्रतिभूति के रूप में बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता को भी हटा दिया है, इस प्रकार प्रतिभागियों को निविदा प्रक्रिया से अपना नामांकन बिना किसी परिणाम के वापस लेने की अनुमति मिल गयी। यह उन दवा विक्रताओं के विरुद्ध पक्षपात है जो याचिकाकर्ता के समान इस प्रक्रिया में वास्तव में रुचि रखते हैं।

12.6. इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के पास सरकारी ई मार्केटप्लेस पोर्टल पर सवाल खड़ा कर इच्छुक बोली लगानेवाले से वित्तीय क्षमता का प्रमाण लेने का कोई अधिकार नहीं था। अनुबंध के अनुदान के लिए निष्पादन प्रतिभूति का 20 प्रतिशत प्रस्तुत करने की शर्त का उल्लेख कार्य प्रयोजन में नहीं मिलता है और इसे बाद के चरण में मनमाने ढंग से पेश किया गया है। यह तर्क कि

निविदा जारी करने वाला प्राधिकरण सरकारी ई मार्केटप्लेस पोर्टल के नियमों के तहत सवाल उठा सकता है, एक गलत धारणा है, क्योंकि कार्य प्रयोजन और 11 जनवरी, 2023 को आयोजित नीलामी-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त के रूप में, विशिष्ट रूप से नोट किया गया है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस नियमों और कार्य प्रयोजन के बीच असंगति की स्थिति में, कार्य प्रयोजन प्रबल माना जाएगा।

12.7. प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा जिन आरोग्य केन्द्रों में दवाओं को बेचा जाना है उनके संबंध में बोली लगानेवाले के वार्षिक कारोबार का आकलन करने के स्पष्टीकरण में दिया गया तर्क पूर्ण रूप से गलत है। यदि उक्त प्रत्यर्थी यह विश्लेषण करना चाहते हैं कि क्या एच1 बोली लगानेवाले (यानी 40 प्रतिशत) द्वारा प्रस्तावित छूट प्रकृति में स्वार्थचालित है, तो उन्हें 06 फरवरी, 2020 के का.ज्ञा. के अनुसार उसका मूल्य-विश्लेषण करना चाहिए था।

12.8 40 प्रतिशत छूट दर का प्रस्ताव देने वाले व्यक्तियों को कई अनुबंध दिए गए हैं और यदि इस दर को इन बोली लगानेवाले के लिए स्वार्थचालित नहीं माना गया था, तो इसे एच1 बोली लगानेवाले द्वारा स्वार्थचालित प्रस्ताव नहीं माना जाना चाहिए था।

<u>प्रत्यर्थियों और मध्यस्थों की ओर से</u>

13. प्रत्यर्थियों और मध्यस्थों के उपरोक्त उल्लिखित वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ संयुक्त रूप से दी गईं हैं:

13.1. सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 170 (iii) के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने अग्रिम धन या नीलामी प्रतिभूति राशि जमा करने के स्थान पर बोली लगानेवालों से बोली सुरक्षित करने की घोषणा लेने का निर्णय किया। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोली लगानेवाले कई आरोग्य केंद्र के लिए बोली न लगाएं, दवाओं की आपूर्ति में देरी के लिए प्रति वस्तु 100/- रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है।

13.2. 11 जनवरी, 2023 को बुलाई गई नीलामी-पूर्व बैठक में याचिकाकर्ताओं सहित लगभग 50 प्रतिभागी उपस्थित थे। उक्त बैठक के दौरान एमएसई लाभ लेने हेतु अयोग्यता से संबंधित कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

13.3. निविदा जारी होने के बाद ही 02 जुलाई, 2021 का कार्यालय ज्ञापन प्रत्यर्थी संख्या 2 के संज्ञान में लाया गया था। उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, एम.एस.ई. प्रमाण पत्र केवल प्राथमिकता वाले ऋण के लिए जारी किए जाते हैं, न कि खरीद वरीयता के लिए। तदनुसार, कार्य प्रयोजन के खंड 4.2 में उल्लेखित क्रय वरीयता को वापस ले लिया गया है। यह का.ज्ञा. निविदा जारी करने के समय पहले से ही लागू थी, पर चूकवश छूट गई थी। वित्तीय बोली लगाने से पहले इस गलती को ठीक कर लिया गया था और सभी भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 19 अप्रैल, 2023 को निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया था।

13.4. वित्तीय नीलामी के आरम्भ होने पर पता चला कि मेसर्स क्योर (एच1) ने 40.75% की उच्चतम छूट दर का प्रस्ताव दिया था और फार्मा केमिस्ट (एच2) ने 40.6% का। हालांकि, उस समय, यह ध्यान दिया गया कि रमेश मेसर्स क्योर फार्मा केमिस्ट (जिसका वार्षिक कारोबार रु. 54 लाख है) ने 102 आरोग्य केंद्र में से 99 के लिए 40.75% छूट का प्रस्ताव रखा था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग रु. 500 करोड़ की राशि वार्षिक रूप से व्यय होती। इसी तरह एच2 बोली लगानेवाले, रमेश केमिस्ट (वार्षिक कारोबार लगभग 1 करोड़) ने 102 आरोग्यकेन्द्रों में से 93 में 40.6% की छूट पर दवाओं की आपूर्ति की इच्छा जाहिर की थी, जिसके परिणामस्वरुप वार्षिक व्यय लगभग रु.470 करोड़ होता। उनके वार्षिक और अनुमानित वार्षिक व्यय के बीच इतने बड़े अंतर ने स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण का संदेह उत्पन्न किया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और दिनांक 06 फरवरी, 2020 के कार्यालय ज्ञापन को आधार बनाते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने इन बोली लगानेवालों की वित्तीय क्षमता का पता लगाने के लिए सरकारी ई मार्केटप्लेस पोर्टल के माध्यम से लिखित स्पष्टीकरण मांगा। परंतु, एच 1 निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहा तो उसकी वित्तीय बोली खारिज कर दी गई और उसने एच1 के रूप में अपना स्थान खो दिया। इसी तरह, एच 2 ने भी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए, जिसके परिणामस्वरूप उसकी वित्तीय बोली को अस्वीकार कर दिया गया। इन परिस्थितियों में, एच 3 और अगले अन्य

उच्चतम बोली लगानेवाले, जो निविदा मानदंडों को पूरा करते थे या मांगी गई निष्पादन प्रतिभूति देने में सक्षम थे, को सफल घोषित किया गया।

13.5. जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया, कार्यप्रयोजन खंड 7.2 से कोई विचलन नहीं है। उक्त खंड केवल तभी लागू होता है जब एच1 बोली लगानेवाले को "दवाओं की आपूर्ति का प्रस्ताव" दिया जाता है, लेकिन वह इसे अस्वीकार कर देता है। वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने मेसर्स क्योर केमिस्ट फार्मा को कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया था और केवल निविदा की बोली की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ताकि स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण के संदेह को दूर किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एच1 और एच2 बोली लगानेवालों द्वारा दी गई वास्तविक छूट दरें असामान्य रूप से कम थीं, शेष बोली लगानेवाले को इस तरह के अवास्तविक छूट दर देने के लिए नहीं कहा गया था ।

13.6. सरकारी ई मार्केटप्लेस पोर्टल पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले का चयन एक स्वचालित प्रक्रिया है और याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाया गया पक्षपात का आरोप गलत है। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने कार्य प्रयोजन के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया है।

13.7. निविदाएं देने के मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप सुस्थापित है और यदि निविदा के निर्माता की व्याख्या निविदा दस्तावेज की भाषा के अनुरूप है

या निविदा के क्रय में सहायता प्रदान करती है, तो न्यायालय को उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

13.8. प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा अनुबंध देने का निर्णय सद्भाव और सार्वजनिक हित में लिया गया था। यदि किसी प्रक्रियात्मक विपथन या त्रुटि मूल्यांकन की पहचान हो भी गई हो, तो भी इस न्यायालय को न्यायिक समीक्षा नहीं करनी चाहिए।

14. उपरोक्त के अलावा, मेसर्स प्रकाश मेडिकोस और मेसर्स ग्रोनबरी फार्मास्युटिकल्स प्रा. लिमिटेड के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सौरभ कृपाल और श्री पराग त्रिपाठी क्रमशः ने निम्नलिखित तर्क दिया:

14.1. कार्य प्रयोजन के खंड 4.2 को दी गई चुनौती कि इसमें 'मध्यम उद्यम' शामिल नहीं हैं, में मूलभूत दलील का अभाव है। फिर भी, क्योंकि सभी सफल एच3 और अन्य सबसे अधिक बोली लगाने वाले भी एमएसई हैं और वरीयता खंड को बाद में हटा दिया गया था, यह तर्क व्यर्थ है और विचारणीय नहीं है।

14.2. सफल बोली लगानेवाले के प्रस्ताव की तुलना में (30.61% और 40.1% के बीच) याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित छूट 27.27% से लेकर 28.80% के बीच है। उन्होंने मेसर्स क्योर फार्मा केमिस्ट (एच1) द्वारा प्रस्तावित 40.75% की दर जितनी ही छूट देने के अपने इरादे का संकेत वर्तमान याचिका की सुनवाई के दौरान ही दिया न कि निविदा प्रक्रिया के दौरान।

14.3. यह मानते हुए कि खंड 4.2 तब भी लागू था, याचिकाकर्ता खरीद वरीयता के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तावित छूट एच1 से 15% की सीमा के भीतर नहीं है।

14.4. याचिकाकर्ताओं ने अलग-अलग आरोग्य केन्द्रों के लिए जानबूझकर एक ही सीमा के भीतर छूट का प्रस्ताव देकर मिलीभगत में बोली लगाई गई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस तथ्य को छिपाया है कि वे पिछली निविदाओं के तहत एएलसी के रूप में कार्य कर रहे थे और मामूली छूट पर दवाओं की आपूर्ति कर रहे थे। याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से निविदा को रद्द करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे आरोग्य केन्द्रों में कम छूट दरों पर अपने आपूर्ति कार्यों को जारी रख सकें।

14.5. सफल बोली लगानेवालों ने अनुबंध के तहत आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की खरीद पर बड़ा खर्चा किया है। उन्होंने निष्पादन बैंक गारंटी भी दी है और अपना कार्य जारी रखने के लिए पूंजी में भी निवेश किया है। यदि विवादित निविदा को रद्द कर दिया गया तो उनके साथ गंभीर पक्षपात होगा।

14.6. वर्तमान रिट याचिका इस प्रक्रिया को भंग करने के इरादे से निविदा की शर्तों की गलत व्याख्या कर बेबुनियाद आधार पर दायर की गई है।

<u>विश्लेषण</u>

15. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मुख्य तर्क कार्य प्रयोजन के खंड 7.2 के कथित उल्लंघन के इर्द-गिर्द घूमता है। उनका दावा है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और

2 उच्चतम बोली (एच1) का प्रस्ताव रखने वाले की जगह तीसरी सबसे बड़ी छूट (और अन्य अगली उच्चतम बोली लगानेवाले) की बोली लगानेवाले को अनुबंध देकर मानक अभ्यास से विचलित हुए हैं। जवाब में, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने याचिकाकर्ताओं के दावे का जोरदार विरोध करते हुए निर्धारित निविदा शर्तों का पालन करने का दावा किया है, जो स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण के आधार पर बोलियों को अस्वीकृत करता है। उनके अनुसार उनके द्वारा की गई कार्यवाही निविदा के संविदात्मक दायित्वों और व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, निविदाकर्ताओं की वित्तीय क्षमताओं का पता लगाने की आवश्यकता से प्रेरित थी। नतीजतन, निर्धारण की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा की गई कार्यवाही कार्य प्रयोजन, विशेष रूप से खंड 7.2 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप थी, और निविदा मूल्यांकन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के मूल सिद्धांतों के साथ संरेखित थे ।

(ख) क्या स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण के आधार पर एच1 और एच2 द्वारा प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकार करना न्यायोचित था;

(ग) क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 का एच1 और एच2 बोली लगानेवालों से उनकी वित्तीय क्षमताओं के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना न्यायोचित था। इसके

अतिरिक्त, क्या कार्रवाई का यह तरीका संभावित स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण के संदर्भ में उचित और आनुपातिक था।

(घ) क्या बोली लगानेवालों के वार्षिक कारोबार और अनुमानित वार्षिक व्यय के बीच बड़ी असमानता से प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण के संबंध में उठाए गए संदेह की पुष्टि होती है।

(ङ) क्या एच1 और एच2 बोली लगानेवालों से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में उनकी पात्रता और स्थिति प्रभावित हुई, जिससे परिणामस्वरूप उनकी बोलियाँ खारिज़ हो गईं।

(च) क्या एच1 बोली लगानेवालों द्वारा प्रस्तावित छूट से मेल करने की बाध्यता के बिना, एच3 और अन्य अगले उच्चतम बोली लगानेवालों को उनके द्वारा प्रस्तावित छूट दरों पर अनुबंध प्रदान करना खंड 7.2 की भाषा और प्रयोजन के अनुरूप है और निविदा जारी करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले व्यापक कानूनी ढांचे के साथ संरेखित है।

(छ) क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा खरीद वरीयता खंड को रद्द करने का निर्णय कार्यालय ज्ञापन 02 जुलाई, 2021 के प्रकाश में, जिसे खारिज़ करने का आधार बनाया गया था, प्रक्रियात्मक रूप से सही था।

(ज) क्या बोलियों का मूल्यांकन और उसके बाद मेसर्स प्रकाश मेडिकोज (एच3) और अन्य उच्चतम बोली लगानेवालों का चयन, निर्णय प्रक्रिया में बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के विधिवत और निष्पक्षता के साथ किया गया था।

<u>निष्कर्ष</u>

16. तर्कों को रेखांकित करने और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालने के बाद, स्पष्टता के लिए, अब हमें कार्य प्रयोजन के विस्तृत प्रासंगिक खंडों की ओर बढ़ना चाहिए।

<u>एच 1 बोली लगानेवाला निर्धारित करने के लिए निविदा की शर्त</u>

17. कार्य प्रयोजन की धारा I खंड 7 (दिनांक 18 जनवरी, 2023 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित), जो बोली लगानेवालों के चयन से संबंधित है, इस प्रकार है[2]:

> *"7. **<u>बोली लगानेवालों का चयन</u>***
>
> *7.1 बोली लगाने वालों को उच्चतम से न्यूनतम छूट (अवरोही क्रम में) के अनुसार स्थान दिया जाएगा और उन्हें एच1; एच2; एच3 आदि कहा जाएगा। **उच्चतम छूट (जिसे यहाँ एच1 कहा गया है) प्रस्तावित करने वाले बोली लगानेवाले को अधिकृत स्थानीय दवा विक्रेता के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए अनुबंध की पेशकश की जाएगी,** जो उपरोक्त धारा 4.2 के निविदा खंड में निहित प्रावधानों के तहत होगा तथा बोली लगानेवाले के परिसर का सफल निरीक्षण भी किया जाएगा ।*
>
> *7.2 यदि एच1 किसी आरोग्य केन्द्र/इकाई के लिए बोली के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो उसे 'बोली सुरक्षित करने की घोषणा' के प्रावधानों के तहत उन सभी आरोग्य केन्द्रों/इकाइयों से सफलतम बोली लगानेवाले के*

---

[2] *कार्य प्रयोजन का असंशोधित खंड 7.2 इस प्रकार हैः*

"यदि कोई एच1 बोली लगानेवाला किसी आरोग्य केंद्र/इकाई के लिए प्रस्ताव से इनकार करता है, तो उसे बोली सुरक्षित करने की घोषणा के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और एच2 बोली लगानेवाले (एच1 बोली लगानेवाले के निकटतम अगला बोली लगानेवाला) को उस आरोग्य केंद्र के लिए एच1 द्वारा प्रस्तावित छूट के समान बोली लगाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। एच2 बोली लगानेवाले द्वारा स्वीकृति न मिलने की स्थिति में, प्रक्रिया को एच1 छूट पर तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि उस आरोग्य केंद्र के लिए अंतिम पात्र बोली लगानेवाले तक कोई प्रस्ताव को स्वीकार न कर ले।

रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा जहाँ वह एच1 है। एच2 बोली लगानेवाले (एच1 के निकटतम अगली कम छूट

की पेशकश करने वाला) को उस आरोग्य केंद्र के लिए एच1 द्वारा प्रस्तावित छूट के समान बोली लगाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। एच2 बोली लगानेवाले द्वारा स्वीकृति न मिलने की स्थिति में, प्रक्रिया को एच1 छूट पर तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि उस आरोग्य केंद्र के लिए अंतिम पात्र बोली लगानेवाले तक कोई प्रस्ताव को स्वीकार न कर ले।

7.3 यदि सरकारी ई मार्केटप्लेस पर बोली लगाने की प्रक्रिया के बाद किसी आरोग्य केन्द्र के लिए केमिस्ट इसलिए उपलब्ध न हो क्योंकि बोली लगानेवाला बोली लगाने की प्रक्रिया के बाद आपूर्ति का प्रस्ताव अस्वीकार कर दे, तो सेवाओं की तत्काल प्रकृति (इंडेंटेड दवाओं की आपूर्ति) के कारण, एक ऑफ़लाइन सीमित निविदा प्रक्रिया की जायेगी, अर्थात, शहर में सभी सूचीबद्ध एएलसी को खुली पेशकश की जाएगी। पंजीकृत केमिस्ट के पैनल में से, प्रस्ताव स्वीकार करने वाला केमिस्ट, जो उच्चतम छूट पर पैनल में शामिल है, को उक्त आरोग्य केंद्र या इकाई की आपूर्ति करने के लिए एएलसी के रूप में चुना जाएगा, जब तक कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के साथ उसकी संविदा की वैधता (अनुबंध के अनुसार बढ़ाई जाने योग्य समय-सीमा सहित) नहीं हो जाती। यह एक ऑफ़लाइन अनुबंध होगा।

7.4 यदि उक्त आरोग्य केन्द्र या इकाई के लिए ए.एल.सी. के पैनल के लिए सीमित निविदा प्रक्रिया भी विफल हो जाती है, तो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की वेबसाइट पर प्रकाशन सहित पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करने के बाद सरकारी ई मार्केटप्लेस पोर्टल पर दोबारा बोली लगाने का प्रयास किया जाएगा। आरोग्य केंद्र या इकाई के लिए ए.एल.सी. को सूचीबद्ध करते समय निविदा विफल होने की स्थिति में, वार्षिक कारोबार पात्रता मानदंड को कम कर अगले निम्न श्रेणी के शहर के लिए लागू किया जाएगा।"

18. पूर्व-उल्लेखित खंड के संदर्भ में, बोली लगानेवालों को उनके द्वारा प्रस्तावित छूट के आधार पर अवरोही रूप में क्रमबद्ध किया जाता है। उच्चतम

छूट का प्रस्ताव रखने वाले बोली लगानेवालों या एच 1 को अन्य प्रासंगिक प्रावधानों को पूरा करने की स्थिति में अनुबंध प्रस्तावित किया जाता है। यदि एच1 बोली लगानेवाले किसी विशिष्ट आरोग्य केंद्र/इकाई के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तो इसके कुछ परिणाम होते हैं। बोली सुरक्षित करने की घोषणा की शर्तों के अनुसार उन्हें इस प्रक्रिया से विवर्जित कर दिया जाएगा और सभी संबंधित आरोग्य केंद्रों के लिए सफल बोली लगानेवाले के रूप में उनका स्थान रद्द कर दिया जाएगा। यह प्रस्ताव फिर एच 2 बोली लगानेवाले, अर्थात, क्रम में अगले कम बोली लगाने वाले को एच 1 बोली लगानेवाले के समान प्रस्तावित छूट देने की अपेक्षा के साथ स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि एच 2 बोली लगानेवाला भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है या स्वीकार करने में विफल रह जाता है, तो पुनरावृत्ति प्रक्रिया एच 1 के छूट स्तर से जारी रहती है, जब तक कि विशिष्ट आरोग्य केन्द्रों के लिए अंतिम पात्र बोली लगानेवाले तक कोई प्रस्ताव स्वीकार न कर ले। यदि उच्च बोली लगानेवाले प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं तो यह प्रक्रिया कम छूट वाले बोली लगानेवालों के लिए अवसर सुनिश्चित करती है। ऐसे मामलों में जहां कोई भी फार्मासिस्ट प्रतिक्रिया न देने या इनकार करने के कारण प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है, वैकल्पिक उपाय किए जाते हैं। एक ऑफलाइन सीमित निविदा प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो सरकारी ई मार्केटप्लेस पोर्टल पर निविदा विफलता के मामले में, समायोजित पात्रता मानदंड के साथ बार-बार बोली लगाने का प्रयास किया जाता है।

19. वर्तमान विवाद का सार प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा एच 1 और एच 2 बोली लगानेवालों की वित्तीय बोलियों को स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण के संदेह के कारण अस्वीकार करने के निर्णय और एच 3 और अन्य उच्च स्थान के बोली लगाने वालों को अनुबंध देने के बाद के निर्णय के तर्क पर आधारित है। इसके आलोक में, न्यायालय अब विश्लेषण करेगा कि क्या यह निर्णय मनमाना, अनुचित या कार्य प्रयोजन में प्रदान की गई शर्तों के दायरे से परे है। हमारा उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या आक्षेपित निर्णय मनमाने तौर से या पूर्वाग्रह के बिना न्याययुक्त और निष्पक्ष भाव से लिया गया था। इस मूल्यांकन का परिणाम वर्तमान याचिका का भाग्य निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर पहुँचने से पहले, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई गलत धारणा को दूर करना अनिवार्य है। उनका यह तर्क कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने खंड 7.2 का सख्ती से पालन किया होता तो वह अनुबंध हासिल कर सकते थे, दुर्नियोजित था। यह अभिकथन खंड 7 के भीतर सन्निहित प्रतिस्पर्धी बोली के सार को स्वीकार करने में विफल रहा है। इस खंड के अनुसार, बोलीलगाने वाले को उच्चतम छूट दर के साथ अनुबंध दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं का काल्पनिक परिदृश्य बाद में बोली लगानेवालों के इनकार की धारणा बनाता है, जो विशुद्ध रूप काल्पनिक है और कानूनी आधार के अभाव से ग्रसित है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय को प्रस्तुत बोली कुछ आरोग्य केंद्रों के लिए याचिकाकर्ताओं को एच1 के जितना कम स्थान पर रखती है, जो उनके तर्क को और कमजोर

करती है। उनका रुख स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण के बड़े प्रभाव की भी अवहेलना करता है, जो एच 1 और एच 2 बोलियों की अस्वीकृति का कारण है।

<u>स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण</u>

20. अब हम स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। निष्पक्ष निविदा प्रक्रिया के मूल में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का प्रमुख सिद्धांत निहित है। यदि स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण नीति अपनाई जाती है, तो यह वास्तविक प्रतिस्पर्धियों को भाग लेने या वास्तविक बोली लगाने से हतोत्साहित कर नीलामी प्रक्रिया को विकृत कर सकती है। निविदा प्रक्रिया में स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण का विश्लेषण महत्वपूर्ण महत्व रखता है क्योंकि यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है, प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकता है और सार्वजनिक हित की रक्षा करता है। स्वार्थचालित मूल्य में जनता को निम्न स्तर की सेवाएं या सामान वितरित किया जा सकता है, क्योंकि बोली लगाने वाला इतनी कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो सकता है। उपयुक्त जाँच द्वारा ऐसे बोली लगाने वालों के चयन में मदद मिलती है जो अपने संविदात्मक दायित्वों को ठीक से पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार, स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण का उचित विश्लेषण मूल्य निर्धारण में इस तरह के आचरण की पहचान करने में मदद करता है और सभी बोली लगानेवाले के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करता है। इस मुद्दे पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 06 फरवरी, 2020 का कार्यालय ज्ञापन एक संदर्भ

बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह मूल्य निर्धारण में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है, जिससे कृत्रिम रूप से कम (इस मामले में उच्च) बोलियों के अनुचित प्रभाव को रोका जा सके। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने संभावित स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण नीतियों के विरुद्ध खरीद प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के साधन के रूप में इस कार्यालय ज्ञापन को लागू किया है। कार्यालय ज्ञापन निम्नलिखित है:

<u>"कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण/असामान्य रूप से कम मूल्य पर नीलामी संबंधी

इस विभाग के संज्ञान में आया है कि खरीद संस्थाओं द्वारा स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण/असामान्य रूप से कम मूल्य पर नीलामी वाली बोलियों के मामले में निविदाओं को अंतिम रूप देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी वस्तुओं की खरीद के लिए नियमावली, 2017 के पैरा 7.5.7 को जानकारी के लिए दोहराया जा रहा है:]

> *असामान्य रूप से कम मूल्य पर बोली वह होती है जिसमें नीलामी की मूल्य नीलामी के अन्य तत्वों के संयोजन में इतनी कम होती है कि यह बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तावित मूल्य पर अनुबंध के निष्पादन से सम्बंधित बड़े मुद्दों पर प्रश्नचिन्ह उठा सकता है। ऐसे मामलों में खरीद संस्थाएं बोली लगाने वाले से लिखित स्पष्टीकरण मांग सकती है, जिसमें सीमा, अनुसूची, जोखिमों और जिम्मेदारियों के आवंटन और बोली दस्तावेज़ की किसी भी अन्य आवश्यकताओं के संबंध में उसकी बोली मूल्य का विस्तृत मूल्य विश्लेषण शामिल हो। यदि मूल्य विश्लेषण का मूल्यांकन करने के बाद, खरीद इकाई यह निर्धारित करती है*

कि बोली लगाने वाला प्रस्तावित मूल्य पर अनुबंध निष्पादित करने की क्षमता का प्रदर्शन करने में मूलतः विफल रहा है, तो खरीद इकाई बोली/प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है। हालाँकि, अनुमानित लागत से कम मानक प्रतिशत तय करना उचित नहीं होगा और उस कम बोली को स्वतः असामान्य मान लिया जाएगा। बोली दस्तावेज तैयार करते समय विनिर्देश तय करने के दौरान सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि असामान्य रूप से कम बोली लगाने वाले के विरुद्ध सुरक्षा हो सके।

हस्ताक्षर"

21. कार्यालय ज्ञापन, जैसा कि इसके पाठ में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, 'असामान्य रूप से कम मूल्य वाली बोली' को परिभाषित करता है, जहां बोली मूल्य, अन्य तत्वों के साथ मिलकर, अनुचित रूप से कम प्रतीत होता है, जिससे अनुबंध को निष्पादित करने के लिए बोली लगाने वाले की क्षमता को लेकर संदेह उत्पन्न होता है। असामान्य रूप से कम बोलियों के मामलों में, खरीद इकाई को प्रस्तावित मूल्य के अनुसार अनुबंध निष्पादित करने की उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए विस्तृत मूल्य विश्लेषण सहित बोली लगाने वाले से लिखित स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी गई है। विस्तृत मूल्य विश्लेषण और बोली लगानेवाले की क्षमता मूल्यांकन पर जोर देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुबंध उन बोली लगानेवालों को दिए जाए जो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकते हैं। मूल्य विश्लेषण की जांच से खरीद इकाई यह निर्धारित कर पाती है कि क्या बोली लगानेवाला प्रस्तावित मूल्य पर अनुबंध निष्पादित करने की अपनी क्षमता को संतोषजनक रूप से प्रदर्शित कर

पाया है। यदि बोली लगाने वाला अपनी वित्तीय क्षमता का प्रदर्शन करने में मूलतः विफल होता है, तो उनकी बोली या प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। हालाँकि, कार्यालय ज्ञापन असामान्य रूप से कम बोलियों की पहचान करने के लिए एक स्वचालित मानदंड के रूप में अनुमानित लागत से कम मानक प्रतिशत तय करने से आगाह करता है। इसके अतिरिक्त, यह इस प्रकार की बोलियों से बचने के लिए सावधानीपूर्वक बोली विनिर्देश तैयार करने के महत्व पर जोर देता है। असामान्य रूप से कम बोलियों पर विचार करने की प्रक्रिया, जैसा कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है, का उल्लेख व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी माल की खरीद के लिए नियमावली, 2017 (01 जुलाई, 2022 को अद्यतन) के अध्याय 7 के पैराग्राफ 7.5.7 में भी मिलता है।

22. अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 इस बात की जाँच करने में सही थे कि बोली लगानेवालों द्वारा दी गई छूट स्वार्थचालित मूल्य है या नहीं। उनका इस मुद्दे पर चिंतित होना उचित था कि क्या उद्धृत कीमतें अत्यधिक कम या अधिक थीं, जिससे बोली लगानेवालेओं द्वारा प्रस्तावित दरों पर अनुबंध निष्पादित करने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न होता। फिर भी, केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2020 के कार्यालय ज्ञापन का उपयोग उचित और निष्पक्षता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों के अनुरूप था। इस संबंध में, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने अपने निर्णय और मूल्यांकन में उनके द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का

समर्थन करने हेतु स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट एवं निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारियों के कार्यवृत्त में भी इस प्रक्रिया का तर्क निम्नानुसार दिया है:

"नोट संख्या 601

XX ..... XX XX

ग. कुछ बोली लगानेवाले जिन्होंने कई आरोग्य केन्द्रों के लिए बोली लगाई है, ***वे असामान्य रूप से उच्च छूट (अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए 'स्वार्थचालित मूल्य') का प्रस्ताव रख सकते हैं*** *और इसलिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल द्वारा एच 1 के रूप में उनका चयन किया जाता है। यह संभव है कि ऐसे एच 1 बोली लगानेवाले एएलसी के रूप में पैनल में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें जिससे निविदा की प्रक्रिया पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसका मुकाबला करने का एक तरीका यह होगा कि जैसे ही सरकारी ई-मार्केटप्लेस द्वारा एच1 घोषित किया जाए, तभी कार्य निष्पादन प्रतिभूति मांग ली जाए, ताकि पैनल में रखे जाने के प्रस्ताव से इनकार की स्थिति में भी बैंक कार्य निष्पादन गारंटी वसूल की जा सके। जो एच 1 बोली लगानेवाले कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करते, उनकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी और उन्हें 02 साल के लिए सी.जी.एच.एस. निविदाओं में भविष्य में भागीदारी से भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा (कार्य परिधि दस्तावेज़ के खंड 7.2 अनुसार)।* ***ऐसे मामलों में, एच2 को एच1 घोषित किया जाए लेकिन खंड 7.2 से विचलन के परिणामस्वरूप, एच2 को एच1 द्वारा प्रस्तावित छूट का मिलान करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसे अवास्तविक 'स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण' होने के कारण खारिज कर दिया जाए।***

XX ... XX ... XX

"नोट संख्या 603

नोट संख्या 601 को स्थानीय केमिस्ट इम्पैनलमेंट सेवाओं, सीजीएचएस दिल्ली रा.रा.क्षे. के लिए प्राप्त 58 एएलसी सरकारी ई-मार्केटप्लेस बोलियों

की तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट और 10/03/2023 की बैठक के बाद एडी (निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण) द्वारा उठाए गए बिंदुओं के साथ प्रस्तुत किया गया था।

संदर्भ नोट संख्या 602 एडी (मुख्यालय) द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में बिना उस उपरोक्त छूट दर को परिभाषित किए, जिससे ज्यादा दर को "स्वार्थचालित मूल्य" कहा जाएगा, हम इस बात को आधार बना सकते हैं कि यदि एच1 बोली लगानेवाले बैंक कार्य निष्पादन प्रत्याभूति यथोचित होने के बाद भी प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह गंभीर भागीदार नहीं हैं।

इसके साथ-साथ, निविदा प्रक्रिया में बोली लगानेवालों को बैंक कार्य निष्पादन प्रत्याभूति जमा करने के लिए 07 दिन का समय देना होता है। हम पहले यदि एच1 को 07 दिन का समय देंगे, फिर एच1 द्वारा मना करने पर एच2 को, एच2 द्वारा मना करने पर एच3 आदि को, तो इस प्रकार समय ही व्यर्थ होगा। जैसा कि चर्चा की गई है, हम ***एच1 बोलीदाता से अपेक्षित कुल बैंक कार्य निष्पादन प्रत्याभूति की गणना कर सकते हैं और जोर दे सकते हैं कि वह एच1 घोषित होने के 02 दिनों के भीतर उसे जमा करे।*** *बैंक कार्य निष्पादन प्रत्याभूति की शेष राशि सातवें दिन पर जमा की जा सकती है। एक गैर-गंभीर बोलीदाता बैंक कार्य निष्पादन प्रत्याभूति के रूप में उतनी राशि भी जमा करने का इच्छुक नहीं होगा। यह प्रक्रिया कम समय में गैर-गंभीर बोलीदाताओं को बाहर कर देगी।*

23. उपरोक्त उद्धरण प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा सरकारी ई-मार्केट पोर्टल पर पूछे गये मूल्य स्पष्टीकरण तर्क का विवरण देता है, जिसका केंद्र एच1 और एच2 बोली लगानेवालों की वित्तीय क्षमता की जाँच करना था। 99 आरोग्य केंद्रों की दवा आपूर्ति के बड़े वित्तीय दायित्व को ध्यान में रखते हुए, यह सत्यापित करना आवश्यक था कि बोली लगानेवाले, विशेषतः जिन्हें एच1 के रूप में स्थान दिया गया था, के पास संविदात्मक अपेक्षाओं को पूर्ण करने

के साधन हैं। एच 1 बोली लगानेवाले की वित्तीय क्षमता, विशेषतः इंडेंट दवाओं की आपूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपये के बड़े वार्षिक व्यय के मुकाबले 54 लाख रुपये के अपेक्षाकृत कम कारोबार को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 का संदेह सुस्थापित था। इसके अतिरिक्त, आरोग्य केंद्रों के भौगोलिक विस्तार, जिनमें से कुछ 100 किलोमीटर जितनी दूरी पर स्थित हैं, दवाओं के समयबद्ध एवं सुघड़ वितरण में व्यावहारिक चुनौतियाँ उठाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी मेसर्स क्योर फार्मा केमिस्ट से एक लिखित स्पष्टीकरण चाहते थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इस तरह की व्यापक और विविध आपूर्ति आवश्यकताओं का प्रबंधन कैसे करेंगे। इसलिए हम श्री विकास सिंह के तर्क से सहमत नहीं हैं कि निविदा दस्तावेजों के भीतर ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के पास सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पर स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार नहीं था। हमारी राय में, कार्यालय ज्ञापन के साथ-साथ माल की खरीद के लिए नियमावली प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार प्रदान करती है। लिखित स्पष्टीकरण प्रक्रिया, प्रस्तावित मूल्य पर अनुबंध देने की बोली लगानेवाले की क्षमता का आकलन करने के एक साधन के रूप में, निविदा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों की संपूरक है। स्पष्टीकरण मांगकर, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 न केवल निविदा प्रक्रिया की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे थे, बल्कि जनहित की भी रक्षा कर रहे थे, क्योंकि निविदा अनुबंधों का सफल

कार्यान्वयन नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को प्रभावित करता है।

24. इस मोड़ पर, हमें इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के पास भाग लेने वाली संस्थाओं की वित्तीय क्षमता का आकलन करने का अधिकार नहीं है और उनकी चिंताएँ वैध हैं, मूल्यांकन अधिक व्यापक और समावेशी होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि प्रत्यर्थियों का मूल्यांकन मुख्य रूप से वित्तीय क्षमता पर केंद्रित था, और 'मूल्य विश्लेषण' के समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू की उपेक्षा की गई थी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से जब नीलामी की प्रक्रिया में स्वार्थचालित मूल्य या असामान्य रूप से कम मूल्य का सुझाव हो तो कार्यालय ज्ञापन और माल क्रय की नियमावली, दोनों न केवल वित्तीय क्षमता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं बल्कि सावधानी पूर्वक मूल्य विश्लेष्ण की आवश्यकता पर भी जोर देती हैं।

25. माल की खरीद के लिए नियमावली, जो असामान्य रूप से कम बोली वाले मामलों में खरीद इकाई से अतिरिक्त प्रतिभूति या बैंक प्रत्याभूति लेने का प्रावधान करती है, यह भी निर्धारित करती है कि ऐसे मामलों में बाध्यकारी परिस्थितियां और उच्च अधिकारियों की स्वीकृति होनी चाहिए। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि अस्पष्टता से बचने के लिए निविदा दस्तावेजों में व्यापक दिशानिर्देशों को शामिल करके स्पष्ट रूप से स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण के

मुद्दे को संबोधित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे काम में शामिल बोली लगाने वालों को प्रारम्भ में ही अयोग्य घोषित किया जा सके। इस तरह की अग्रिम स्पष्टता एक बाधा के रूप में काम कर सकती है, जिससे स्वार्थचालित बोलियों की संभावना कम हो सकती है और वास्तविक बोली लगानेवालों को नीलामी प्रक्रिया के दौरान अच्छी तरह से उचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

26. हालांकि, स्थापित प्रोटोकॉल से मामूली विचलन या निविदा में स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण की पहचान करने के लिए एक पद्धति का चयन प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के निर्णय को मज़बूत नहीं बनाती है। इस तरह के प्रशासनिक निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा उल्लेखनीय रूप से अधिक है। न्यायालयों का प्राथमिक कर्तव्य निर्णय लेने की प्रक्रिया की वैधता, दृढ़ता और विवेक का आकलन करना है। जैसा कि ***एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड*** में देखा गया है, जब तक कि यह दर्शाया न जा सके कि विवादित निर्णय पूर्ण रूप से मनमाना या तर्कहीन है और कानून के अनुसार कार्य करते हुए कोई भी उपयुक्त प्राधिकरण उस निर्णय पर नहीं पहुँच सकता था, संवैधानिक न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। निविदा जारी करना और बाद में अनुबंध देना वाणिज्यिक लेनदेन हैं जो सरकार के वित्तीय कार्यों के दायरे में आते हैं। इसलिए, मनमानेपन, पक्षपात, विकृति या अतार्किकता के मामलों को छोड़कर,

सरकारी प्राधिकरणों की वाणिज्यिक राय और वाणिज्यिक लेन-देन विशेषज्ञों की अंतर्निहित स्वायत्तता को सर्वोच्च महत्व देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रशासनिक निर्णय की वैधता, न कि इसकी दृढ़ता न्यायिक समीक्षा की जांच से गुजरती है।

27. सीमित हस्तक्षेप के उपर्युक्त न्यायिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमें याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगे गए समाधान देने का कोई आधार नहीं मिला। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एच 1 [मेसर्स क्योर फार्मा केमिस्ट] और एच 2 [रमेश केमिस्ट] दोनों बोली लगानेवाले प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहे। उनकी निष्क्रियता और अपनी अपात्रता के विरोध के मुद्दे में न्यायालय में उनकी अनुपस्थिति, प्रस्तावित छूट दरों पर अनुबंध को निष्पादित करने की उनकी यथार्थता और मंशा पर वैध संदेह उत्पन्न करती है। उनकी निष्क्रियता ने प्रभावी रूप से उनकी बोलियों को रद्द कर दिया। इन परिस्थितियों में, कार्य प्रयोजन के खंड 7.2 में शामिल शर्तें, जो बाद में बोली लगानेवालों को एच1 द्वारा दी गई छूट दरों से मेल खाने के लिए बाध्य करती है, लागू नहीं हुई। "दवाओं की आपूर्ति के प्रस्ताव" को विस्तृत करने वाला चरण कभी आया ही नहीं। एच 1 और एच 2 की बोलियों को रद्द करने के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को अगले उच्चतम मूल्य की बोली लगाने वालों के पास जाने और उन्हें निविदा देने का निर्णय लेना उचित था, जो कि निविदा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक हित के साथ भी संरेखित होता है।

कुल मिलाकर, न्यायालय ने यह दृढ़ निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने वैधानिक चिंतन के आधार पर तर्कसंगतता के साथ काम किया। याचिकाकर्ताओं द्वारा भी प्रत्यर्थियों की ओर से पूर्वाग्रह या पक्षपात का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार, निविदा प्रक्रियाओं में निहित विवेकाधीन प्रकृति ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को निविदा प्रक्रिया के दौरान सामने आए कानूनों और तथ्यों के मापदंडों के अधीन अपने विवेक का प्रयोग करने की अनुमति दी। नतीजतन, न्यायालय को एच 3 (या अगले उच्चतम) बोली लगानेवाले को निविदाएं देने के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चुनौती को बरकरार रखने के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिला।

28. याचिकाकर्ताओं के इस दावे के संबंध में कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने कुछ आरोग्य केंद्रों को उसी छूट दर पर अनुबंध दिया है जो एच1 द्वारा पेश की गई थी, यह जाँचना आवश्यक है कि प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके विशिष्ट गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए। स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण या असामान्य रूप से कम बोली के कारण मेसर्स क्योर फार्मा केमिस्ट की बोली की अस्वीकृति मुख्य रूप से इसमें शामिल पर्याप्त संविदात्मक दायित्वों के संबंध में उनके तुलनात्मक रूप से कम कारोबार पर आधारित थी। याचिकाकर्ताओं के इस दावे के संबंध में कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने कुछ आरोग्य केंद्रों को उसी छूट दर पर अनुबंध दिया है जो एच1 द्वारा पेश किया गया था, यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसकी

विशिष्ट गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए। स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण या असामान्य रूप से कम बोली के कारण मेसर्स क्योर फार्मा केमिस्ट की बोली की अस्वीकृति मुख्य रूप से इसमें शामिल पर्याप्त संविदात्मक दायित्वों के संबंध में उनके तुलनात्मक रूप से कम कारोबार पर आधारित थी। उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य तर्क में दम नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने एच3 बोली लगानेवालों को अनुबंध देकर कार्य प्रयोजन के खंड 7.2 का उल्लंघन किया है। 06 फरवरी, 2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा निर्देशित प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा अपनाई गई पद्धति, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, बोली प्रक्रिया में विकृतियों को रोकने और बनाए रखने के उद्देश्य से स्वार्थचालित मूल्य निर्धारण और असामान्य रूप से कम बोलियों के विरुद्ध सार्वजनिक हित एक वैध बचाव के रूप में मौजूद है।

<u>सूक्ष्म एवं लघु उद्योग</u>

29. अब हम विवाद के दूसरे बिंदु पर आते हैं, जो कि कार्य प्रयोजन के खंड 4.2 के तहत निर्धारित एमएसई के लिए खरीद वरीयता को रद्द करने के इर्द-गिर्द घूमता है। श्री विकास सिंह ने तर्क दिया कि एम.एस.ई. के रूप में याचिकाकर्ता इस वरीयता के हकदार थे, और यह कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने गैर-एम.एस.ई. बोली लगानेवालों को अनुबंध देकर निविदा शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने प्रक्रिया की

शुरुआत के बाद निविदा शर्तों को मनमाने ढंग से बदल दिया गया, जो कानूनी और संविदात्मक रूप से अस्वीकार्य है। इस पहलू पर, शुरुआत में, हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि खंड 4.2 का लाभ किसी भी प्रतिभागी एमएसई को नहीं दिया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने इस प्रतिसंहरण का स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें कहा गया है कि 11 जनवरी, 2023 को एक नीलामी-पूर्व बैठक में बोली लगानेवालों ने निविदा की शर्तों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद, 08 फरवरी, 2023 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया, जिससे एमएसई प्रमाणपत्र से संबंधित आवश्यकताओं में संशोधन हुआ। संशोधित प्रावधान इस प्रकार है:

> *"1. 1बी के तहत पात्रता मानदंड 1 के लिए संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों में पहले से मौजूदा खंडों के अतिरिक्त निम्नलिखित खंड शामिल होंगे:*
> *"एम.एस.ई. को दी गई सभी प्राथमिकताओं/छूटों के लिए 01/04/2022 या उसके बाद जारी किए गए उद्योग आधार ज्ञापन (यू.ए.एम.) के रूप में केवल एम.एस.ई. प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा। यह दिनांक 19 जनवरी 2022 को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी सरकारी अधिसूचना का.आ. 278 (ड.) के अनुसार है"।"*

30. भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी 02 जुलाई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि *"खुदरा और थोक व्यापार एमएसएमई को लाभ केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने तक ही सीमित रखा जाएगा"*। इसलिए, खुदरा विक्रेताओं को एमएसई प्रमाणपत्र केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के उद्देश्य से जारी किए गए थे और

निविदा प्रक्रियाओं के दौरान खरीद में कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी। परिणामस्वरूप, 19 अप्रैल, 2023 को वित्तीय बोलियां खोलने से पहले, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगानेवालों (जिनमें एमएसई नहीं थे) को विधिवत सूचित किया कि कोई एमएसई खरीद प्राथमिकता लागू नहीं की जाएगी। यह निर्णय उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए दिशानिर्देशों पर आधारित था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि प्राथमिक क्षेत्र वाले ऋण के लिए एम एस ई खुदरा विक्रेताओं की पात्रता सीमित थी। इसलिए, किसी भी भाग लेने वाले बोली लगानेवालों को किसी एमएसई में प्राथमिकता नहीं दी गई, और सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल ने बिना किसी अनावश्यक हस्तक्षेप के, एक स्वचालित प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक आरोग्य केंद्र के लिए एच 1 का चयन किया। न्यायालय की राय में, एमएसई वरीयता को प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा 02 जुलाई 2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन हेतु वापस लिया जाना एक वैध और विवेकपूर्ण निर्णय था। प्रत्यर्थियों द्वारा इस दिशानिर्देश का पालन निविदा मूल्यांकन में स्थिरता और एकरूपता सुनिश्चित करता है और किसी भी तरह की एम एस ई लाभ की अस्पष्टता या गलत व्याख्या की रोकथाम करता है ।

31. कार्य प्रयोजन के खंड 4.2 के तहत एमएसई खरीद वरीयता का प्रारंभिक समावेशन शायद गलतफहमी या भूल पर आधारित था और उसे बाद में ठीक कर दिया गया। वित्तीय बोलियां शुरू करने से पहले गैर-एमएसई संस्थाओं सहित

सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगानेवालों को एमएसई खरीद प्राथमिकता की अनुपलब्धता के बारे में सूचित करने में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 का सक्रिय दृष्टिकोण सभी बोली लगानेवालों को समान अवसर प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस खुले संचार ने सभी पक्षों को बदली हुई स्थितियों से अवगत होने की अनुमति दी और सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए। इसके अलावा, एमएसई वरीयता को वापस लेने के निर्णय ने निविदा प्रक्रिया के समग्र परिणाम को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि अधिकांश बोली लगाने वाले, जिन्हें अंततः अनुबंध दिया गया था, एमएसई संस्थाएं थीं। यह तथ्य इस धारणा को और मजबूत करता है कि यह प्रत्याहरण एमएसई संस्थाओं के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं थी, बल्कि 02 जुलाई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित दिशानिर्देशों के सख्त पालन से प्रेरित था।

32. इसके अतिरिक्त, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि निविदा प्रक्रियाओं में बदलती परिस्थितियों या नियामक आदेशों के जवाब में संशोधन और समायोजन हो सकते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की वरीयता के प्रत्याहरण की व्याख्या सरकारी नीतियों के अनुरूप निविदा शर्तों में सुधार के रूप में की जा सकती है। न्यायालय को यह मानने के लिए कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला कि खरीद वरीयता खंड को रद्द करने से याचिकाकर्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रासंगिक रूप से, इस लाभ की पात्रता के लिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा दी

गई छूट को निर्धारित विचार क्षेत्र [एच-15%) की परिसीमा में होना आवश्यक था। याचिकाकर्ताओं ने छूट की पेशकश की, लेकिन उन्होंने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से लाभ प्राप्त करने के मानदंडों को पूरा नहीं किया। इसलिए, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग वरीयता के लिए प्रारंभिक प्रावधान के बावजूद, याचिकाकर्ता अंततः इसका लाभ उठाने के लिए आवश्यक योग्यता से चूक गए। इसलिए, भले ही सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की वरीयता के बाद में प्रत्याहरण को एक प्रक्रियात्मक विचलन के रूप में माना जाता है, यह निविदा प्रक्रिया के अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करता है। तथ्य यह है कि यदि यह खंड कायम रहता तो भी याचिकाकर्ता एमएसई लाभ के हकदार नहीं होते। इस प्रकार, इसका प्रतिसंहरण उनके मामले से कोई प्रासंगिकता नहीं रखता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निविदा प्रक्रिया की अखंडता बरकरार है।

33. पूर्वगामी कारणों से, वर्तमान याचिका लंबित आवेदनों के साथ खारिज कर दी जाती है।

न्या. संजीव नरूला

मु. न्या. सतीश चंद्र शर्मा

18 अगस्त, 2023/*डी.नेगी*

परिशिष्ट

सीजीएचएस दिल्ली आरोग्य केंद्र के लिए एएलसी सरकारी ई-मार्केट पर बोली की प्रक्रिया में दिनेश, बत्रा और कुणाल मेडिकोज का उनके द्वारा प्रस्तावित छूट के आधार पर स्थान

सीजीएचएस दक्षिण क्षेत्र					
क्र.सं.	बोली लगाने वाले का नाम	बत्रा मेडिकोज़ (28.8%) पी1	कुणाल मेडिकोज (27.27%) पी2	दिनेश मेडिकोज़ (27.37%) पी 3	मौजूदा सफल बोली लगाने वाले का स्थान
	बत्रा, कुणाल और दिनेश मेडिकोज द्वारा बोली के लिए सीजीएचएस आरोग्य केंद्र की कुल संख्या	6	21	17	
	आरोग्य केंद्र का नाम				
1	सीजीएचएस एंड्रयूज गंज (डी30)		एच9	एच8	एच5 (30.75%)- एच 1 के रूप में स्वीकृत
2	सीजीएचएस सीबीआई कॉलोनी (डी50ऐ)		एच3		एच2 (28.33%)- पैनल में
3	सीजीएचएस फरीदाबाद (डी70)	एच7			एच 5 (33.03%)- एच 1 के रूप में स्वीकृत
4	सीजीएचएस गुड़गांव सेक्टर-5 (डी92)	एच7			एच 5 (33.03%)- एच 1 के रूप में स्वीकृत
5	सीजीएचएस गुड़गांव सेक्टर-55 (डी92)	एच8			एच 5 (33.03%)- एच

					1 के रूप में स्वीकृत
6	**सीजीएचएस हौज़ खास (डी47)**		**एच8**	**एच7**	**एच3 (30.6%- पैनल में)**
7	**सीजीएचएस जंगपुरा (डी 40)**		**एच8**		**एच 6 (30.06%)- एच 1 के रूप में स्वीकृत**
8	**सीजीएचएस कालकाजी -2 (डी42)**				
9	**सीजीएचएस कालकाजी-1 (डी42)**				
10	**सीजीएचएस कस्तूरबा नगर- 1 (डी24)**		**एच5**		**एच3 (30.6% पैनल में)**
11	**सीजीएचएस कस्तूरबा नगर- 2 (डी72)**		**एच5**		**एच3 (28.75%- पैनल में)**
12	**सीजीएचएस किदवई नगर (डी12)**			**एच5**	**एच3 (30.6%- पैनल में)**
13	**सीजीएचएस लाजपत नगर (डी11)**				
14	**सीजीएचएस लक्ष्मीबाई नगर (डी15)**	**एच7**	**एच12**	**एच11**	**एच5 (30.75%)- एच1 के रूप में स्वीकृत**
15	**सीजीएचएस मालवीय नगर (डी41)**				
16	**सीजीएचएस एमबी रोड (डी65)**	**एच7**			**एच5 (30.75%)- एच1 के रूप में**

					स्वीकृत
17	सीजीएचएस मोती बाग (डी16)		एच8	एच7	एच6 (28.33% - एच1 के रूप में स्वीकृत)
18	सीजीएचएस मुनिरका (डी71)		एच6	एच5	एच3 (30.6%- पैनल में)
19	सीजीएचएस नानकपुरा (029)		एच7	एच6	एच3 (30.6%- पैनल में)
20	सीजीएचएस नेताजी नगर (डी21)		एच6	एच5	एच3 (30.6%- पैनल में)
21	सीजीएचएस पुष्प विहार (डी78)				
22	सीजीएचएस आरकेपी-I (डी43)		एच6	एच5	एच3 (30.6%- पैनल में)
23	सीजीएचएस आरकेपी-II (डी46)		एच6	एच5	एच3 (30.6%- पैनल में)
24	सीजीएचएस आरकेपी-III (डी50)		एच6	एच5	एच3 (30.6%- पैनल में)
25	सीजीएचएस आरकेपी-IV (डी52)		एच6	एच5	एच3 (30.6%- पैनल में)
26	सीजीएचएस आरकेपी-वी (डी57)		एच6	एच5	एच3 (30.6%- पैनल में)
27	सीजीएचएस आरकेपी-VI (डी69)		एच6	एच5	एच3 (30.6%- पैनल में)
28	सीजीएचएस सादिक		एच6	एच5	एच3 (30.6%-

	नगर (डी63)				पैनल में)
29	सीजीएचएस सरिता विहार (डी90)				
30	सीजीएचएस श्रीनिवासपुरी (डी37)				
31	सीजीएचएस वसंत कुंज (डी91)		एच6	एच5	एच3 (30.6%-पैनल में)
32	सीजीएचएस वसंत विहार (डी96)		एच6		एच 3 (33.03%-पैनल में)
33	सीजीएचएस जिला सैनिक बोर्ड (डी104)	एच 4			एच3 (30.6%-पैनल में)
34	एम एंड जी अस्पताल		एच6	एच5	एच3 (30.6%-पैनल में)

सीजीएचएस उत्तरी क्षेत्र					
	बोली लगाने वाले का नाम	बत्रा मेडिकोज़ (28.8%)	कुणाल मेडिकोज (27.27%)	दिनेश मेडिकोज़ (27.37%)	
	बत्रा, कुणाल और दिनेश मेडिकोज द्वारा बोली के लिए सीजीएचएस आरोग्य केंद्र की कुल संख्या	1	0	0	मौजूदा सफल बोली लगाने वाले का स्थान
क्र.सं.	अनुसूची शीर्षक				
1	अशोक विहार(डी62)				
2	दिल्ली कैंट(डी3)				

3	देव नगर(डी19)	एच10			एच3 (401% पैनल में)
4	द्वारका -9 (डी36ए)				
5	द्वारका-23 (डी100)				
6	हरि नगर(डी48)				
7	इंदर पुरी(डी55)				
8	जनकपुरी-1(डी61)				
9	जनकपुरी-2(डी74)				
10	झारोदा कलां (डी33ए)				
11	नांगल राया (डी58)				
12	नारायणा विहार(डी98)				
13	न्यू राजिंदर नगर (डी45)				
14	पालम कॉलोनी (डी66)				
15	पश्चिम विहार(डी80)				
16	पटेल नगर(डी38) (पश्चिम)				
17	पीतम पुरा (डी81)				
18	पूसा रोड(डी18)				
19	राजौरी गार्डन (डी53)				
20	रोहिणी-16 (डी89)				
21	रोहिणी-7(डी86)				
22	शकूरबस्ती (डी54)				
23	शालीमार बाग (डी88)				
24	सोनीपत (डी103),				
25	सुंदर विहार (डी82)				
26	तिलक नगर (डी26)				
27	त्री नगर (डी64)				
28	विकासपुरी(डी17ए)				

सीजीएचएस पूर्वी क्षेत्र					
	बोली लगाने वाले का नाम	**बत्रा मेडिकोज़ (28.8%)**	**कुणाल मेडिकोज (27.27%)**	**दिनेश मेडिकोज़ (27.37%)**	**मौजूदा सफल बोली लगाने वाले का स्थान**
	बत्रा, कुणाल और दिनेश मेडिकोज द्वारा बोली के लिए सीजीएचएस आरोग्य केंद्र की कुल संख्या	**6**	**0**	**0**	
क्र.सं.	**अनुसूची शीर्षक**				
1	**सीएजी बिल्डिंग (डी28)**				
2	**चांदनी चौक (डी8)**				
3	**दिलशाद गार्डन (डी87)**				
4	**गाजियाबाद (डी68)**				
5	**जीकेजी डब्ल्यूसी (डी56)**	**एच11**			**एच5 (38.62% - एच1 के रूप में स्वीकृत)**
6	**ग्रेटर नोएडा (डी22ए)**				
7	**इंदिरापुरम (097)**				
8	**किंग्सवे कैंप (डी60)**	**एच5**			**एच3 (30.6%- पैनल में)**
9	**लक्ष्मीनगर (डी67)**				
10	**मयूर विहार (डी77)**	**एच10**			**एच5 (35.1%- एच1 के रूप में स्वीकृत)**
11	**मयूर विहार फेस-II (डी- 102)**				
12	**नोएडा सेक्टर-82 (डी95)**	**एच10**			**एच5 (38.62% - एच1 के रूप में**

					स्वीकृत)
13	नोएडा (डी85)	एच11			एच3 (40.1% पैनल में)
14	पटपरगंज डी-101				
15	राजपुर रोड (डी59)				
16	साहिबाबाद (डी94)				
17	शाहदरा (डी49)				
18	सब्ज़ी मंडी (डी6)				
19	तिमारपुर (डी7)				
20	विवेक विहार (डी79)				
21	यमुना विहार (डी84)	एच10			एच5 (38.62% - एच1 के रूप में स्वीकृत)

सीजीएचएस मध्य क्षेत्र					
	बोली लगाने वाले का नाम	बत्रा मेडिकोज़ (28.8%)	कुणाल मेडिकोज (27.27%)	दिनेश मेडिकोज़ (27.37%)	मौजूदा सफल बोली लगाने वाले का स्थान
	बत्रा, कुणाल और दिनेश मेडिकोज द्वारा बोली के लिए सीजीएचएस आरोग्य केंद्र की कुल संख्या	1	4	0	
क्र.सं.	अनुसूची शीर्षक				

1	अलीगंज(डी9)		एच10		एच3 (33.03%-पैनल में)
2	लोधी रोड(डी-10)		एच10		एच3 (35.1%-पैनल में)
3	प्रगति विहार(डी-83)		एच 4		एच3 (30.61%-पैनल में)
4	डॉ. जेड.एच. रोड(डी-44)				
5	पंडारा रोड(डी-2)				
6	टेलीग्राफ लेन (डी-34)				
7	मिंटो रोड (डी-4)				
8	पहाड़गंज (डी-5)				
9	चित्रगुप्त रोड (डी-51)				
10	गोले मार्केट(डी-1)	एच4			एच 3 (30.61% - पैनल में))
11	काली बारी(डी-76)				
12	नॉर्थ एवेन्यू (डी-31)				
13	राष्ट्रपति स्था (डी-27)				
14	साउथ एवेन्यू (डी-32)				
15	चाणक्यपुर(डी-23)				एच 3 (30.61% - पैनल में))
16	पीएम सदन				

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*